मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- हाईवे पर जाम: रिलायंस कम्पनी की दादागिरी
- स्मार्ट सिटी: यानी जनता को लूटने का एक और बहाना — 3
- महागठबन्धन ने मारी ऐसी पटकी भाजपा की नाव बीच मझधार पलटी — 4
- विश्वविद्यालयों के 'धंधेबाज़ी' की नयी तैयारी
- हकीकत जबान पर आ ही गयी — 5
- एस.पी. ने तोड़ी मंत्री की हेकड़ी, दिखा दी औकात — 8

वर्ष 29 अंक 2 फरीदाबाद, मंगलवार, 1-15 दिसम्बर 2015 फोन : - 9999595632 2 ₹

सुनपेड़ कांड: कौन करे इस न्याय व्यवस्था पर विश्वास

वकीलों की हड़ताल से उठा मुद्दा

न्याय प्रक्रिया का अभिन्न अंग होते हुए भी, न्याय पाने के लिये, वकीलों का हड़ताल पर जाना इस पूरी व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। बीते पखवाड़े ज़िला बार एसोसिएशन द्वारा 3 दिन तक चलाई गई हड़ताल की पूरे प्रदेश में फ़ैलने की जब नौबत आ गयी तो हाई कोर्ट के भी कान खड़े हो गये। विदित है कि 23 नवम्बर को यहां की हड़ताल के समर्थन में पूरे पंजाब हरियाणा व चंडीगढ तक के वकील हड़ताल पर रहे।

फ़रीदाबाद (म.मो.)

इसी के फलस्वरूप चंडीगढ से बार काऊंसिल के चेयरमैन रजत गौतम ने खुद यहां आकर बार को सुनपेड़ कांड में न्याय दिलाने का आश्वासन देकर हड़ताल समाप्त करवाने के साथ-साथ बार के एक प्रतिनिधि -मंडल को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलवाने की बात कही। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते यह प्रतिनिधि-मंडल 24 नवम्बर को वरिष्ठ जज सूर्यकांत, जोकि इस ज़िले के निरीक्षण जज भी हैं, से उनके आवास पर मिला।

जज साहब ने वकीलों को शीघ्रातिशीघ्र पूरा न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस बात पर सन्तोष जताया कि वकील साहेबान हड़ताल समाप्ति की घोषणा करके उनसे मिलने आये हैं। भविष्य के लिये उन्होंने यह भी कहा कि हड़ताल पर जाये बगैर भी उनकी सुनाई हो सकती है, यदि बहुत ही जरूरी हो तो 15 मिनट का धरना ही काफ़ी होता है। हाईकोर्ट उसका भी पूरा संज्ञान लेती है।

विदित है कि सुनपेड़ कांड के तथाकथित पीड़ित के बयान पर पुलिस ने गांव के 12 लोगों को गिरफ़्तार करके विभिन्न जेलों में भेज रखा है। इनमें से 2 वकील भी जेल में हैं। इन्ही 2 वकीलों को लेकर बार एसोसिएशन अनिश्चिकालीन हड़ताल पर चली गयी थी। हड़ताल पर जाने से पहले भी बार ने ज़िला प्रशासन व स्थानीय न्यायपालिका के स्तर पर मामले को सुलझाने का प्रयास किया था; लेकिन जब बात नहीं बनी और अन्याय एवं दमनचक्र ने दो वकीलों को भी लपेटे में ले लिया तो अपनी आवाज़ बहरे कानों तक पहुंचाने के लिये वकीलों को हड़ताल के रूप में दहाड़ना पड़ा।

पर्दा उठेगा तो तेरा क्या होगा?

मामला दिन के उजाले की तरह बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। जब दीवार फ़ांदने व बाहर से (खिड़की के रास्ते) आग लगाने की बात झूठी साबित हो चुकी है तो स्वत: सिद्ध है कि आग भीतर से पति या पत्नी ने ही लगाई है। इन दोनों में से यह वारदात किसने और क्यों करी? इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों के अतिरिक्त कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं दे सकता। लेकिन 'दलित' का कवच धारण किये इस जोड़े से इस बाबत पूछताछ करने की हिम्मत न तो स्थानीय पुलिस ही जुटा पाई और न ही सीबीआई जुटा पा रही।

'मज़दूर मोर्चा के 1-15 नवम्बर' अंक में '...सुनपेड़ अग्निकांड में कोई सच नहीं बोलना चाहता' शीर्षक से प्रकाशित समाचार में स्पष्ट संकेत दिये गये थे कि पीड़ित जितेंद्र द्वारा दर्ज कराई गयी एफआईआर में कतई कोई सच्चाई नहीं है। एफ़आईआर में नामजद 11 आदमियों द्वारा 6 फ़ीट ऊंची दीवार फ़ांदने की भी कहीं से पुष्टि नहीं होती। एफ़आईआर में लिखाई गयी यह बात भी झूठी साबित हो चुकी है कि कमरे के बाहर से खिड़की में से पैट्रोल फ़ेंक कर जलती तिल्ली के द्वारा आग लगाई गयी है। इसके अलावा इस बात के स्पष्ट संकेत भी उभर कर सामने आ चुके हैं कि जितेंद्र और उसकी पत्नी के बीच कलह रहती थी जिसके चलते पत्नी अक्सर अपने मायके अथवा बहन-बहनोई के पास रहती थी। इन सबके अलावा जितेन्द्र द्वारा 11 लोग़ों के विरुद्ध झूठी एफ़आईआर लिखाने का खास मकसद भी सर्वविदित है कि उसके अपने 11 परिजन आरोपी पक्ष के 3 लोग़ों की हत्या के जुर्म में अक्तूबर 2014 से जेल में बन्द हैं। हत्या के उस मामले में जितेन्द्र ने राजीनामे के भरसक प्रयास किये थे। असफ़ल होने पर उसने उनके विरुद्ध झूठे क्रॉस केस बनवाने के भी प्रयास किये थे। मौजूदा अग्निकांड से कुछ सप्ताह पूर्व भी जितेन्द्र पुलिस कमिश्नर व बल्लबगढ़ के पुलिस उपायुक्त से इसी सिलसिले में मिला था। जब इन अफ़सरों ने उसके कहने पर झूठे क्रॉस केस दर्ज करने से मना कर दिया तो उसने यह घिनौना केस दर्ज कराया और पुलिस अफ़सरों पर यह आरोप भी जड़ दिया कि उसे बार-बार मांगने पर भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गयी। उधर एक साल पुराने हत्या केस में सुनवाई लगभग पूरी होने के करीब है तथा जितेन्द्र के सभी 11 परिजन सज़ा होने के करीब समझे जा रहे हैं। ऐसे में जितेन्द्र के पास कुछ कर गुजरने का यही एक अवसर था। उसके सामने करने या मरने की स्थिति थी।

शेष पेज दो पर

ख़बर दार

बिहार में भी शराब-बन्दी का गुजरात मॉडल!

हाल में सबने देखा कि हरियाणा के मंत्री विज को, जिनका अपनी सरकार की घोर लालची आबकारी नीति पर तो बस चल नहीं रहा, फ़तेहाबाद में पुलिस वालों के लालच पर बरसने का दिखावा करते हुए बिहार में इसी तर्ज पर जंगल राज के नये अध्याय के अनावरण की भूमिका नीतीश सरकार ने लिख दी है। बजाय राज्य की आक्रामक समाज विरोधी आबकारी नीति को जनपरक शक्ल देने के, अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की जायेगी।

19वीं शताब्दी के अंत में रूस के जार ने सेना से पूर्ण शराबबंदी लागू कराई और सारे समाज को शराबी बना डाला। अमेरिका ने यही 1920 के दशक में किया जिसने वहां के कुख्यात माफ़िया को जन्म दिया। हरियाणा में बंसीलाल की दो-तीन साल की ही पूर्ण शराबबंदी के प्रयोग ने न सिर्फ राजनीति, पुलिस, आबकारी कर्मियों और तस्करों गुंडों को मालामाल किया बल्कि भूमाफ़िया दौर में पदार्पण के लिए वित्त भी उपलब्ध कराया था।

प्रस्तुत है इस सन्दर्भ में नीतीश कुमार से मजदूर मोर्चा का काल्पनिक साक्षात्कार:-

म.मो.: नीतीश कुमार जी इतने अनुभवी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप शराबबंदी की मरीचिका में कहां फंस गए।

नीतीश - हमारे चुनाव घोषणा पत्र में भी था और महिलाओं ने हमें वोट दिया तो उन्हें भी तो राहत मिलेगी।

म.मो.: तमाम पिछले उदहारण आपके सामने हैं। इससे एकमात्र राहत या तो लालू के चेले-चपतों नुमा स्थानीय गुंडों को मिलेगी या भाजपाई शराब-तस्करों को। स्त्रियों को पहले भी भुगतना पड़ रहा था, अब और भी ज्यादा भुगतना पड़ा करेगा।

नीतीश - चलो इसी बहाने लालू जी को भी शांति मिलेगी कि उनके लोगों को अब पहले की तरह अपहरण फिरौती का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इसी बहाने प्रदेश की कानून व्यवस्था भी ठीक चलेगी।

म.मो.: क्या वाकई आप इतने भोले हैं? गुंडों के धनवान होने से और पुलिस, आबकारी कर्मियों के उनकी कमाई में हिस्सेदारी से कानून व्यवस्था को तो और भी खराब ही होना है। क्या आपकी अपनी पार्टी के राजनीतिक लोग भी इस बहती गंगा में खुल कर हाथ धोने से हटेंगे?

नीतीश : हां यह तो ठीक है। पर अब क्या कर सकते हैं। मैं अपनी पुलिस को और चौकस कर दूंगा। हम गुंडों का पूरा इलाज करेंगे।

म.मो.: पुलिस तो नाम की आपकी रहेगी। अंतत: वे जिसका माल खायेंगे उसी का गीत तो गायेंगे। इस माहौल में विरोधी भी आप की सरकार पर तरह-तरह के आरोप लगायेंगे।

नीतीश - विरोधी के नाम पर अब बचा ही कौन है? लालू और कांग्रेस तो हमारी सरकार में ही हैं। रही बात भाजपा की तो खुद नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी तो पूर्ण शराबबंदी बापू के नाम पर लागू है। इस मामले में हम भी, अपवादस्वरूप ही सही, गुजरात मॉडल का अनुसरण कर लेंगे।

म.मो. - वाह ! यानी शराब तस्करी से पैसा कमाने में नीतीश का बिहार और मोदी का गुजरात एक ही रास्ते पर चलते माने जाएं।

नीतीश - भाई कुछ भी कह लो। मोदी जी की यह खूबी माननी ही पड़ेगी। विदेशों में गांधी की जय बोलते हैं और गुजरात में गांधी के नाम से लागू शराबबंदी के चलते गांधी तस्वीर वाले हरे-हरे नोटों का इंतजाम अपने समर्थकों के लिए किया हुआ है।

म. मो. - कहते हैं गुजरात में तो घर बैठे शराब पहुँचने की सेवा चलायी जा रही है ?

नीतीश - चिंता मत करिए हम उनसे भी अच्छी सेवा देंगे। जनता ने इसी विश्वास से तो हमें चुना है। आमीन !

ठगी व ज़ालसाज़ी का मुकदमा दर्ज, आखिर सीपी का आदेश मान ही लिया

फ़रीदाबाद (म.मो.) 'पुलिस कमिश्नर का आदेश भी नहीं मानते' शर्षक से एक समाचार 'मज़दूर मोर्चा' के 16-30 नवम्बर, अंक में प्रकाशित हुआ था। इसके फ़लस्वरूप दिनांक 25 नवम्बर को थाना सेक्टर 7 में बडौली निवासी दो भाईयों के विरुद्ध जालसाज़ी का मुकदमा नं. 732 भारतीय दंड संहिता की धारा 419, 420, 467, 471 व 120 बी आदि के तहत दर्ज कर लिया गया है।

इससे पहले 'मज़दूर मोर्चा' के 1-15 अक्टूबर अंक में 'पुलिस-नेता गठजोड़, उदासीन अदालतें' शर्षक से भी एक समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया गया था कि किस प्रकार बडौली गांव के दो भाईयों सतबीर व सुरजीत चंदीला ने नेताओं के आशीर्वाद व पुलिस की मिलीभगत से सैक्टर 9 की कोठी नम्बर 67 पर कब्ज़ा कर लिया था। बरसों तक अदालतों का उदासीन रवैया देखने के बाद कोठी मालिक ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। करीब एक साल में घूमता-फिरता वह पत्र थाना सेक्टर 7 पहुंचा। यहां भी इस पत्र की दुर्दशा होने वाली थी, लेकिन बच इस लिये गया कि इसकी जांच एक सही और ईमानदार एस आई के हवाले हो गयी। जांच में दोनों भाईयों को दोषी करार देकर मुकदमा दर्ज करने की सिफ़ारिश की गयी।

लेकिन चंदीला भाईयों ने नेताओं व पुलिस अधिकारियों से गठजोड़ कर उक्त रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डलवाने के लिये एक एएसआई की रिपोर्ट उस मुख्य रिपोर्ट के ऊपर लगवा दी। इसकी आड़ लेकर इस मामले को डीसीपी बल्लबगढ़ कार्यालय ने ठंडे बस्ते में डाल दिया। महीनों वहां पड़े रहने के बाद 'मज़दूर मोर्चा' के 1-15 अक्टूबर अंक में इस सारे घोटाले का पर्दाफ़ाश किया गया। पुलिस आयुक्त (सी पी) ने इसे पढ कर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के आदेश दिये। डीसीपी बल्लबगढ को फ़ाइल पढनी पड़ी। कोठी मालिक को मुंबई से बुला कर बयान लिखने की औपचारिकता पूरी की गयी। इसके बावजूद मामला एक बार फ़िर ठंडे बस्ते में चला गया। लगता है इस मामले को दर्ज़ करने में पुलिस को कोई भारी दिक्कत आ रही थी। खैर जैसे-तैसे रोते-पीटते मामला तो दर्ज हो गया। अब देखना यह है कि पुलिस इस मुकदमें की तफ़्तीश में क्या गुल खिलाती है? सही मायनों में देखा जाय तो वे तमाम पुलिस अधिकारी भी इस षड़यन्त्र में शामिल होने के दोषी बनते हैं जिन्होंने चंदीला भाईयों की ज़ालसाज़ी में सहयोग दिया और मामले को दबाये रखने का प्रयास किया।